

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 336] No. 336] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2006/श्रावण 4, 1928 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2006/SRAVANA 4, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 444(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बीज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2006 होगा।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''8क. बीजों के संबंध में व्यवहारियों द्वारा कतिपय मानकों का सुनिश्चित किया जाना :

बीजों के अधिसूचित प्रकार या किस्म अथवा अधिसूचित प्रकार या किस्मों से अन्यथा बीजों का प्रत्येक व्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा दावा किए गए बीजों की गुणवत्ता के मानक बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 6 के अधीन बीजों के अधिसूचित प्रकार या किस्म के लिए विहित मानकों और लेबल के आकार, रंग और अंतर्वस्तु के संबंध में यथाविहित कोई अन्य अतिरिक्त मानक के अनुरूप होंगे।''

[फा. सं. 2-7/2003-एस डी. IV]

एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव

टिप्पण : बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 432(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Ministry of Agriculture

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2006

G.S.R.444(E).- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Seeds (Control) Order, 1983, namely:-

- 1. (1) This Order may be called the Seeds (Control) Amendment Order, 2006.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Seeds (Control) Order, 1983, after clause 8, the following clause shall be inserted, namely:-

"8A. Dealers to ensure certain standards in respect of seeds:

Every dealer of seeds in notified kind or variety or other than notified kind or variety of seeds shall ensure that the standards of quality of seeds claimed by him shall conform to the standards prescribed for the notified kind or variety of seeds under Section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) and any other additional standards relating to size, colour and content of the label as may be specified."

(F.No. 2-7/2003-SD.IV)

S.L. BHAT, Jt. Secy.

Note: The Seeds (Control) Order, 1983 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 932(E), dated the 30th December, 1983.